बिहार विधान-सभा वादवृत

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–१ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर ।)

मंगलवार, तिथि २४ जुलाई, १९७३ ई०

विषय–सूची ।

		पृष्ट
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
अल्प सूचित संख्या : ७४, ७७ एवं ७८ ।	....	१—१३
तारांकित प्रश्न संख्या : ८२५, ८२७, ८२९, ८३१, ८३५, ८३७, ८४०, ८४२, ८४३, एवं ८४५ ।	....	१३—५९
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	....	६०—७७
दैनिक निबंध :	....	७९—८०

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे * चिह्न लगा दिया गया है ।

औसतन खर्च २०.९५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आंका गया था। अगर राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को वर्त्तमान में दिये जाने वाले अनुदान की राशि को घटा दिया जाय तो लगभग १३.६७ करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च सरकार के ऊपर आ जायेगा। इसके अलावे राजकीयकरण के फलस्वरुप प्रशासन आदि में भी अतिरिक्त व्यय करना और इस प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के अधीन लेने पर लगभग १५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना होगा।

सम्पुष्टि आदेश

८७६। श्री राम जीवन सिंह— क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(१) क्या यह बात सही है कि तिरहुत प्रमंडल में द्वितीय वर्गीय लिपिकों की सेवा की सम्पुष्टि के लिए नियुक्ति के १३-१४ वर्षों के बाद क्षेत्रीय उप-शिक्षा-निदेशक तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने आदेश जारी किया था,

(२) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के निदेशालय ने उक्त संपुष्टि आदेश को २७-१-७३ के आदेश के द्वारा रद्द कर दिया है,

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि संपुष्ट किये जानेवाले कर्मचारी की सख्या क्या है तथा संपुष्टि आदेश को क्यों रद्द घोषित किया गया है ?

श्री विद्याकर कवि— (१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है किन्तु निदेशालय के आदेश की तिथि २०-१-१९७३ है।

(३) वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के प्रथम वर्गीय लिपिकों की संपुष्टि निदेशालय स्तर से और द्वितीय वर्गीय लिपिकों की सम्पुष्टि प्रमंडीय स्तर से करनी थी। किन्तु क्षेत्रीय शिक्षोपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल द्वारा अपने प्रमंडल में कार्यरत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के लिपिकों की सम्पुष्टि अपने ही स्तर से कर दी गई। ऐसा करने से राज्य स्तर पर प्रथम वर्गीय लिपिकों की वरीयता में एक रुपता लाना संभव नहीं था, अतः प्रथम वर्गीय लिपिकों की सम्पुष्टि रद्द कर दी गई तथा निर्देश दिया

गया कि प्रथम वर्गीय लिपिकों का जिन द्वितीय वर्गीय लिपिकों के पदों पर ग्रहणाधिकार है उनको छोड़कर जितने पद रिक्त हैं उनपर सम्पुष्टि कर सकते है। पर क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने सभी द्वितीय वर्षीय लिपिकों की सम्पुष्टि तत्काल रद्द कर दी और यह निर्णय लिया कि जब निदेशालय स्तर से प्रथम वर्गीय लिपिकों की सम्पुष्टि हो जाती हैं तब पुनः सभी पदों पर एक साथ द्वितीय वर्गीय लिपिकों की संपुष्टि की जायगी। संपुष्ट होनेवाले प्रथम वर्गीय लिपिकों की संख्या-१६ तथा द्वितीय वर्षीय लिपिकों की संख्या-३४ है। संपुष्ट रद्द करने का दूसरा कारण यह भी था कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकों के लिए कोई निश्चित संवर्ग नहीं था जिसकी वजह से नियुक्ति, प्रोन्नति, सम्पुष्टि नहीं हो रही थी।

उर्दू शिक्षक के संबंध में।

८७८। श्री खादिम हुसैन— क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(१) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत नौर्थबुक जिला स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या डेढ़ सौ से अधिक है,

(२) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विद्यालय में श्री असगर अली द्वितीय मौलवी उर्दू पढ़ाने के लिये तारीख ४-५-७२ तक थे;

(३) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त मौलवी के बदली हो जाने के बाद वह स्थान अभी तक रिक्त है जिसके कारण उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई बन्द है;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार एक मौलवी की उक्त स्कूल में शीघ्र पदस्थापित करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि— (१) उत्तर नकारात्मक है। उर्दू पढ़ने वाले छात्र की कुल संख्या ७८ है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) यह सही है कि उपर्युक्त मौलवी के स्थानान्तरित होने के बाद यह पद अभी भरा नहीं गया है। वस्तुस्थिति यह है कि इस विद्यालय में हेड मौलवी,